भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 826
21 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

ih,e,okbZ ds varxZr C;kt jktlgk;rk ;kstuk †

826- Jh ,lñ eqfuLokeh%
Jh chñ okbZñ jk?kosUnz%

D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj dk izèkku ea=kh vkokl ;kstuk ¼ih,e,okbZ½ ds rgr C;kt jktlgk;rk ;kstuk dks ykxw djus dk dksbZ fopkj gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS(vkSj

¼k½ blds ekunaM vkSj blds varxZr C;kt dh ek=kk dk C;kSjk D;k gS\

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई (यू)] के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी घटक हेतु ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत 3,00,000/- रूपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी तथा 3,00,001/- रूपये और 6,00,000 रूपये के बीच की पारिवारिक वार्षिक आय वाले निम्न आय वर्ग वाले लाभार्थी, बशर्ते कि वे इस स्कीम के अंतर्गत अन्यथा पात्र हों, आवास के अधिग्रहण, निर्माण (पुनर्खरीद सहित) और विस्तार के लिए 6.00 लाख रूपये तक के आवासीय ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से 20 वर्ष की अधिकतम अवधि हेतु ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार ने मध्यम आय वर्ग से संबंधित पात्र लाभार्थियों को आवास ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम भी (एमआईजी हेतु सीएलएसएस) शुरू की है। इस स्कीम में मध्यम आय वर्ग के दो आय घटक अर्थात 6,00,001 रूपये से 12,00,000 रूपये (एमआईजी-I) के बीच पारिवारिक वार्षिक आय और 12,00,001 से 18,00,000 रूपये (एमआईजी- II) के बीच पारिवारिक वार्षिक आय सम्मिलित हैं। इस स्कीम के तहत एमआईजी-I और एमआईजी- II श्रेणियों के लाभार्थियों को आवासों के अधिग्रहण/ निर्माण (पुनर्खरीद सहित) के लिए क्रमशः 9,00,000 रूपये और 12,00,000 रूपये तक की ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होगी। ब्याज सब्सिडी क्रमशः 4% और 3% की दर से प्रदान की जाती है ।

****